



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-15102026-277170
CG-TL-E-15102026-277170

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5394]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948

No. 5394]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 12 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5608(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के मेदक जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् मुदखेड-डोन रेलपथ दोहरीकरण (417.88 कि.मी.) के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी (एलए) अर्थात् भूमि अधिग्रहण अधिकारी और राजस्व मंडल अधिकारी, मेदक मंडल को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी और राजस्व मंडल अधिकारी, मेदक मंडल आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी (एलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची – I

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुवुधा के लिए मंदक मंडल, मेदक जिला क्षेत्राधिकार के सीमा के भीतर मुदखेड-डोन रेलपथ दोहरीकरण

गांव : मीर्जापल्ली		मंडल : शंकरमपेट-आर			जिला :
मेदक					
क्र. सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वे. सं.	भूमि अधिग्रहण क्षेत्र		मामले का विवरण
			एकड़ गुंटा में	वर्ग मी. में	
1	बोइनी प्रभाकर सिपुत्र चिठारी	18/3	0.02 ½	252.925	
2	बोइनी विजया पत्नी साईबाबा	231/2	0.04	404.680	
3	बोइनी वेणु कुमार सुपुत्र गणेश	231/2	0.04	404.680	
	कुल		0.10 ½	1062.285	
गांव : अक्कन्नपेट		मंडल : रायमपेट			जिला : मेदक
क्र. सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वे. सं.	भूमि अधिग्रहण क्षेत्र		मामले का विवरण
			एकड़ गुंटा में	वर्ग मी. में	
4	चिट्टिमल्ले श्रीनिवास रेड्डी सुपुत्र बलराम	618	0.02	202.340	
5	मल्का सुनंदा पत्नी राज कुमार	618	0.01	101.170	4-पत्थर के स्तंभ
6	बिजरापु पल्लवी पत्नी राजा श्रीनिवास	618	0.01	101.170	4-पत्थर के स्तंभ
7	गोली साई लक्ष्मी पत्नी सुरेंद्र	618	0.01	101.170	4-पत्थर के स्तंभ
8	साकानी सुदर्शन सुपुत्र बालय्या	447	0.02	202.340	
9	साकानी प्रभाकर सुपुत्र बालय्या	447	0.02	202.340	
	कुल		0.09	910.530	
	कुल क्षेत्र		0.19 ½	1972.815	

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/121026]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 12th October, 2026

S.O. 5608(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed here to, is required for execution of the Special Railway Project, Doubling of track between Mudkhed - Dhane Sections (417.88 KM) in Medak District, Telangana State, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20-D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority (LA), namely Land Acquisition Officer & Revenue Divisional Officer, Medak Division in writing and shall be set out the grounds thereof and the Competent Authority and Revenue Divisional Officer, Medak Division shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority (LA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE - I

Description of Additional Lands in Acquisition: Doubling of track between Mudkhed to Dhane Section within the limits of Medak Division, Medak District jurisdiction for passenger and freight facility.

Village: Mirzapally Mandal: Shankarampet-R District: Medak					
Sl. No.	Name of the Land Holder	Sy.No	Land Acquisition Area		Details of the Case
			in Ac.gts	in Sq. Mtrs	
1	Boyini Prabhakar S/o. Chithari	18/3	0.02 ½	252.925	
2	Boyini Vijaya W/o. Saibaba	231/2	0.04	404.680	
3	Boyini Venu Kumar S/o. Gane1230032sh	231/2	0.04	404.680	
	Village Total		0.10 ½	1062.285	
Village: Akkannapet Mandal: Ramyampet District: Medak					
Sl. No.	Name of the Land Holder	Sy.No	Land Acquisition Area		Details of the Case
			in Ac. gts	in Sq. Mtrs	
4	Chittimalle Srinivas Reddy s/o. Balaram	618	0.02	202.340	
5	Malka Sunanda W/o. Raj Kumar	618	0.01	101.170	4-Stone Pillars
6	Bijarapu Pallavi W/o. Raja Srinivas	618	0.01	101.170	4-Stone Pillars
7	Goli Sai Laxmi W/o. Surendar	618	0.01	101.170	4-Stone Pillars
8	Sakani Sudarshan S/o. Balaiah	447	0.02	202.340	
9	Sakani Prabhakar S/o. Balaiah	447	0.02	202.340	
	Village Total		0.09	910.530	
	Total Extent		0.19 ½	1972.815	

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20A/121026]

B. KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III